रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082025-265198
CG-DL-E-04082025-265198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2025/श्रावण 13, 1947
No. 484]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 527(अ).— गैस सिलेंडर नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जो केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके इनसे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से जिसको राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस (30) दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां अथवा सुझाव, यदि कोई हों, निर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेशक (विस्फोटक), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एंवं उद्योग मंत्रालय को कक्ष संख्या 252-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा ई-मेल: expl-dipp@nic.in; पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों को गैस सिलेंडर (चौथा संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 (जिन्हें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2के उप नियम (xxviii) में निम्नलिखितको अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:–

"गैस सिलेंडर" या "सिलेंडर" से संपीडित गैस के भंडारण और परिवहन के लिए अभिप्रेत धातु का कोई भी बंद कंटेनर, जिसका आयतन पांच सौ मिली से अधिक परंतु एक हजार लीटर से अनधिक हो, जिसमें किसी मोटर वाहन में ईंधन टैंक के रूप में लगाया गया कोई भी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कंटेनर या द्रवीकृत प्राकृतिक गैस कंटेनर या संपीडित प्राकृतिक गैस सिलेंडर या संपीडित हाइड्रोजन गैस सिलेंडर शामिल है, लेकिन इसमें किसी विशेष परिवहन या अंडरकैरिज में लगाया गया कोई अन्य कंटेनर शामिल नहीं है और इसमें एक कंपोजिट सिलेंडर और क्रायोजेनिक कंटेनर शामिल हैं,

तथापि, सीएचजी, सीएनजी, नाइट्रोजन, संपीडित वायु आदि के भरण और भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर की जल क्षमता एक हजार लीटर से तीन हजार लीटर तक हो सकती है, बशर्ते नाइट्रोजन, संपीडित वायु सिलेंडर का व्यास साठ सेमी से अधिक न हो; और सीएचजी, सीएनजी सिलेंडर का व्यास अस्सी सेमी से अनधिक होना चाहिए।

बशर्ते कि, सीएचजी के लिए कंपोजिट सिलेंडर को ग्लास फाइबर से नहीं लपेटा जाएगा;

[फा. सं. पी-13033/32/2021-विस्फोटक-भाग (1)]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम अधिसूचना संख्या 1081(अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि.189(अ) तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 231(अ) तारीख 15 मार्च, 2018, सा.का.नि. 44(अ) तारीख 23 जनवरी, 2019, सा.का.नि. 44(अ) तारीख 20 जनवरी, 2022, सा.का.नि. 225 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 2025, सा.का.नि. 386(अ) तारीख 16जून, 2025 और सा.का.नि. 501(अ) तारीख 28 जुलाई,2025 द्वारा इनमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2025

G.S.R. 527(E).— The draft of the following rules to amend the Gas Cylinders Rules, 2016 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), is hereby published as required by sub-section (1) of section 18 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after Thirty (30) days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (Explosives), Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Room No. 252-A, Udyog Bhavan, New Delhi – 110001 or Email: expl-dipp@nic.in; within the period specified above.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft rules

1. **Short title and commencement.—(**1) These rules may be called the Gas Cylinders (Fourth Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Gas Cylinders Rules, 2016 (hereinafter referred to as said rules), in sub-rule (xxviii)of rule 2, the following shall be substituted, namely;

"gas cylinder" or "cylinder" means any closed metal container having a volume exceeding five hundred mililitre but not exceeding one thousand liters intended for the storage and transport of compressed gas, including any liquefied petroleum gas container or liquefied natural gas container or compressed natural gas cylinder or compressed hydrogen gas cylinder fitted to a motor vehicle as its fuel tank but not including any other such container fitted to a special transport or undercarriage and includes a composite cylinder and cryogenic container.

However, the water capacity of cylinder used for filling and storage of CHG, CNG, nitrogen, compressed air may exceed one thousand liters up to three thousand liters provided the diameter of the nitrogen, compressed air cylinder does not exceed sixty centimeters and the diameter ofCHG, CNG cylinder does not exceed eighty centimeters.

Provided that Composite cylinders for CHG shall not be wrapped with glass fibre; ''

[F. No. P-13033/32/2021-EXPLOSIVE-Part(1)]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number 1081(E) dated 22nd November, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 189(E) dated 27thFebruary, 2018, G.S.R. 231(E) dated 15th March 2018, G.S.R. 44(E) dated 23rd January, 2019, G.S.R. 44(E) dated 20th January 2022, G.S.R. 225(E) dated 11th April, 2025, G.S.R. 386(E), dated 16th June, 2025and G.S.R. 501(E) dated 28th July 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA